न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
18/2022/प्रा.पत्र/2022	05.04.2022	11.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

श्री कमल किशोर साहू पुत्र श्री प्रहलाद साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल तेल घाणी उद्योग बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी मोरला रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी श्री कमल किशोर साहू स्वयं उपस्थित।

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 11.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.01.2022 को समय 01:11 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स कमल तेल घाणी उद्योग बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री कमल किशोर साहू पुत्र श्री प्रहलाद साहू उपस्थित थे, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कमल किशोर साहू ने स्वयं को मैसर्स कमल तेल घाणी उद्योग बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर ऑफलाईन खाद्य अनुज्ञा रजि. दिखाया एवं ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल आदि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **तिल्ली का तेल खुला (Till Oil Loose)** लोहे के टिन में लगभग 7–8 किलोग्राम रखा हुआ था, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर श्री कमल किशोर साहू को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री कमल किशोर साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **तिल्ली का तेल खुला (Till Oil Loose)** को वास्ते मानक स्तर की जांच

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, टिन में रखे हुये 7–8 किलोग्राम में से 1600 ग्राम **तिल्ली का तेल खुला (Till Oil Loose)** खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा व चयन शुदा 1600 ग्राम **तिल्ली का तेल खुला (Till Oil Loose)** को 400–400 ग्राम को अलग–अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शीशियों में भरकर ढक्कन को एयर टाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3004 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–3004 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/242 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/130/एक्ट/2022/154 दिनांक 19.01.2022 के अनुसार विक्रेता श्री कमल किशोर साहू से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **तिल्ली का तेल खुला (Till Oil Loose)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **तिल्ली का तेल खुला (Till Oil Loose)** विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **तिल्ली का तेल खुला (Till Oil Loose)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **तिल्ली का तेल खुला (Till Oil Loose)** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) तथा धारा 51 के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री कमल किशोर साहू पुत्र श्री प्रहलाद साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल तेल घाणी उद्योग बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी मोरला रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति रूपये 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 11.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0